भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-210
उत्तर देने की तारीख-11/03/2026

एससीईआरटी और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ करना

210 **श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:**
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने तेलंगाना सहित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर संज्ञान लिया है;
(ख) राज्यों में एससीईआरटी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), तकनीकी शिक्षा परिषद (सीटीई) और उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईएएसई) के क्षमता निर्माण, अनुसंधान और अवसंरचना संबंधी समर्थन के लिए उपलब्ध केंद्रीय योजनाओं और सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में अनुसंधान-उन्मुख शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"एससीईआरटी और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ करना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी द्वारा दिनांक 11.03.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 210 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सशक्त करने और शिक्षक को तैयार करने, व्यावसायिक विकास और शैक्षिक अनुसंधान के लिए एक जीवंत संस्थागत प्रणाली विकसित करने पर जोर देती है। इसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और अन्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान और विद्यालयी शिक्षा प्रणालियों के लिए शैक्षिक सहायता के लिए जिम्मेदार प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के रूप में पुनर्जीवित करने की परिकल्पना की गई है।

इन उद्देश्यों के अनुरूप, भारत सरकार, समग्र शिक्षा की एकीकृत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी), अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों (सीटीई) और शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थानों (आईएएसई) सहित शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करती है। ऐसी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए तेलंगाना सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के आधार पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं (टीईआई) में भौतिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, डीआईईटी के पदाधिकारियों की क्षमता वृद्धि, पाठ्यचर्या विकास के लिए एससीईआरटी को शैक्षिक और कार्यक्रम संबंधी सहायता, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ-एसई) के अनुरूप राज्य पाठ्यचर्या ढांचे के अनुसंधान और विकास और शैक्षिक सहायता और ब्लॉक संसाधन केन्द्रों (सीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से स्कूलों को निरंतर शैक्षिक सहायता का प्रावधान शामिल है (सीआरसी)। केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार एससीईआरटी और डीआईईटी में शिक्षक शिक्षकों के लिए वेतन सहायता भी प्रदान करती है।

सरकार ने समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से सभी कार्यशील जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में, वित्त वर्ष 2023-24, में 125 डीआईईटी के स्तरोन्नयन के लिए 917.09 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और दूसरे चरण में, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 121 डीआईईटी के स्तरोन्नयन के लिए 1,512.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

अनुसंधानोन्मुखी शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास (सीपीडी) के संवर्धन के लिए कई उपाय किए गए हैं। एनईपी 2020 में सिफारिश की गई है कि प्रत्येक शिक्षक वर्ष में कम से कम 50 घंटे के निरंतर पेशेवर विकास में प्रतिभागिता करें और आवश्यकता पर

आधारित, शिक्षक-संचालित पेशेवर अधिगम की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करे। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ़-एसई) 2024 भी चिंतनशील पद्धति, अनुसंधान अभिविन्यास और जिज्ञासा-आधारित अधिगम के माध्यम से शिक्षक दक्षता को मजबूत करने पर बल देती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक (एनपीएसटी) शिक्षण पद्धतियों में नवाचार और अनुसंधान सहित शिक्षकों के लिए दक्षता ज्ञानक्षेत्र को परिभाषित करने वाला एक ढ़ांचा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अनुसंधान-सूचित ढांचों और क्षमता वृद्धि पहलों के माध्यम से शिक्षक और शिक्षा को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनसीईआरटी ने शिक्षकों के लिए 50 घंटे का एक संरचित वार्षिक सीपीडी संरचना का विकास किया है और नियमित रूप से देश में एससीईआरटी, डीआईईटी और शिक्षक शिक्षकों के लिए क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आयोजित करता है। यह जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, जर्नल वॉयस ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स और एससीईआरटी और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डायरेक्टर्स के राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसी पहलों के माध्यम से अनुसंधान और शैक्षिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है। एनसीईआरटी और इसके क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई) भी अनुसंधान-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और शिक्षकों को कक्षा-आधारित कार्रवाई अनुसंधान करने में सक्षम बनाने के लिए संसाधन सामग्री विकसित करते हैं।

समग्र शिक्षा के तहत नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (निष्ठा) के माध्यम से बड़े पैमाने पर शिक्षक की क्षमता वृद्धि भी की जाती है, जो प्रत्यक्ष और ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिक्षकों और स्कूल के प्रमुखों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है। इसके अलावा, ज्ञान साझा करने के लिए अधिगम संसाधनों (दीक्षा) प्लेटफॉर्म देश भर के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और डिजिटल अधिगम संसाधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम पेशेवर विकास को समर्थ बनाता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा अधिसूचित एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा के लिए चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम प्रदान करता है और इसमें शोध प्रबंध कार्य और वृत्तिक पूछताछ जांच जैसे अनुसंधान घटक शामिल हैं, जिससे शिक्षक तैयार करने में अनुसंधान अभिविन्यास को सुदृढ़ किया जा सके।
